प्रेषक,

मुख्य अभियन्ता (नियोजन),
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0,
लखनऊ।

प्रेषित,

मुख्य अभियन्ता (स्तर-2)
गण्डक/ सरयू परियोजना-प्रथम/सरयू परि0-द्वितीय/सोन/
शारदा /शारदा सहायक /रामगंगा /गंगा/यमुना
पूर्वीगंगा /मध्यगंगा/बेतवा।
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश
गोरखपुर/ फैजाबाद/ गोण्डा/वाराणसी/
लखनऊ/ लखनऊ/ कानपुर/ मेरठ/ओखला/
मुरादाबाद/अलीगढ़/ झांसी।

पत्रांक : 131 /प्र0अ0/अनिमांब/यू-7/ दिनांक : 28/03/2018

विषय : वर्ष 2018 में बाढ़ पूर्व तैयारियों एवं बाढ़ के समय कार्यवाही हेतु बाढ़ आदेशों के सम्बन्ध में।

महोदय,

वर्ष 2018 का बाढ़ काल आरम्भ होने में कुछ ही समय शेष है जिसमे बाढ़ से पूर्व की समस्त तैयारियां पूर्ण की जानी आवश्यक है जिससे इस वर्ष बाढ़ से होने वाली परिसम्पत्तियों की क्षति एवं प्रदेश में इससे जन-धन की हानि को कम से कम किया जा सके। इस सम्बन्ध में समय-2 पर मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0सरकार, प्रमुख सचिव (सिंचाई), प्रमुख अभियन्ता के स्तर से निर्देश दिये जाते रहे हैं। इसके अतिरिक्त निम्न बाढ़ आदेश निर्गत किये जा रहे है जिसकी अनुपालना दिनांक 31.05.2018 से पूर्व कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(अ) बाढ़ आदेश संख्या- 01

1. **चेकलिस्ट :**

अधीक्षण अभियंता, अनुसंधान एवं नियोजन (बाढ़) मण्डल द्वारा विभिन्न बाढ़ कार्यो के निरीक्षण हेतु जो चेकलिस्ट जारी की गयी है, उसे जूनियर इंजीनियरो/ सहायक अभियन्ताओं/ अधिशासी अभियन्ताओं से कार्यो के निरीक्षण उपरान्त वांछित प्रमाण पत्र सहित 20.5.2018 तक भेजना सुनिश्चित करें तथा प्रति अधीक्षण अभियन्ता, अनुसंधान एवं नियोजन (बाढ़) मण्डल, लखनऊ को उपलब्ध कराये।

2. **रिजर्व स्टाक :**

रिजर्व स्टाक के क्रय हेतु जो भी निर्देश समय-समय पर दिये गये है, उनके अनुसार धन की उपलब्धता के परिप्रेक्ष्य में जितनी सामग्री का क्रय धन उपलब्धता के आधार पर संभव हो सकता हो उसे संवेदनशील स्थानों पर विवेकानुसार क्रय करके प्रत्येक दशा में 20 मई तक संचित करा लें और उक्त सामग्री के उपयोग हेतु जो जूनियर इंजीनियर नामित किये जायें, उनके नाम, चिन्हित स्थल और सामग्री का व्योरा एक रैक्सीन वाइण्ड रजिस्टर में कार्यस्थल पर रखा जाए जिसमें आपूर्ति/निर्गमन का व्योरा निम्न प्रारूपों पर अंकित किया जायेगा।

प्रारूप-1

क्र0सं0	सामग्री का नाम	चट्टो की संख्या	कुल मात्रा	दि0 31.05.18 का स्टाक माप पुस्तिका में मापी का सन्दर्भ		जू0इंजी0 का हस्ताक्षर	निरीक्षण अधिकारी के निर्देश
				माप पुस्तिका संख्या	पृष्ठ संख्या		
1	2	3	4	5	6	7	8

प्रारूप-2

क्र0 सं0	दिनांक	प्रस्तावित कार्य का विवरण	सामग्री का विवरण		सहायक अभियन्ता / अधिशासी अभियंता सामग्री निर्गत करने का आदेश	कार्य की मापी का संदर्भ		जू0इंजी0 के हस्ताक्षर	निरीक्षण अधिकारी के निर्देश
			सामग्री	मात्रा		माप पुस्तिका संख्या	पृष्ठ संख्या		
1		3	4	5	6	7	8	9	10

यह रजिस्टर 31 अक्टूबर को खण्डीय कार्यालय में अनिवार्य रूप से जमा कर दिये जायेगें।

3. समस्त जूनियर इंजीनियरों तथा उनसे संबंधित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा 240 दिन से अधिक दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की बीट्स निर्धारित कर दी जाए और उनको ड्यूटी चार्ट निर्गत कर दिया जायें। उपलब्ध

कर्मचारियों को इस प्रकार से नियोजित किया जायें कि संवेदनशील स्थलों का निरन्तर किसी न किसी वाच एण्ड वार्ड स्टाफ की उपलब्धता रहे। इस प्रकार नामित किये गये व्यक्तियों की सूची प्रभावित ग्राम प्रधानों, ग्राम पंचायतों, समीपस्थ पुलिस चौकियों, तहसीलदार, जिलाधिकारियों एवं उपजिलाधिकारियों को उपलब्ध करा दी जाए और क्षेत्र के प्रमुख जनप्रतिनिधियों को भी उनकी प्रतियाँ भेज दी जाए और व्यापक प्रचार करा दिया जाए।

4. बांधों की सुरक्षा हेतु उपरोक्तानुसार लगाये गये अवर अभियंताओं एवं उनसे संबंधित समस्त स्टाफ के अस्थाई मुख्यालय जून 2018 से अक्टूबर 2018 तक सेक्शन / बीट में निर्धारित कर दिये जाये और उसकी सूचियां भी उपरोक्त पैरा-2 में उल्लिखित समस्त संबंधित जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दे दी जायें और व्यापक रूप से प्रचारित करा दी जायें।

5. बंधो के निरीक्षणोपरान्त चेकलिस्ट के आधार पर जो-जो संवेदनशील स्थल चिन्हित किये गये हैं, उनकी सूचना जिलाधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध करा दी जाए और यथासंभव सक्षम अधिकारियों से विचार-विमर्श के उपरान्त उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष मरम्मत के कार्यों को 31 मई से पूर्व ही पूर्ण करा लिए जायें।

6. वर्ष 2017 की बाढ़ में जिन-जिन स्थानों पर बंधे कटे हैं और पुर्नस्थापित किये गये है, उन स्थलों पर विशेष निगरानी सुनिश्चित की जाए, क्योंकि बाढ़ आने पर नदी का सर्वप्रथम दबाव इन्हीं बंधो /स्थलों पर आयेगा।

7. वर्ष 2017 की बाढ़ में जिन-जिन स्थलों पर सीपेज, पाइपिंग, रैटहोल्स, दीमक आदि तथा ओवर टापिंग से बंधें संवेदनशील हुए थे,उन स्थानों को चिन्हित करके सुरक्षा प्रदान कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही माह मई में ही पूर्ण करा दी जाए और इस प्रकार के स्थलों की सूची तथा कराये गये कार्यो का विवरण समस्त उच्चाधिकारियो, संबंधित जिलाधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों को प्रेषित कर दिया जाए।

8. समस्त संवेदनशील स्थलों पर गेज स्थापित कर दी जाये और 01 जून से उनका रजिस्टरों में अंकन प्रारम्भ कर दिया जाये, जिसकी सूचना जूनियर इंजीनियर द्वारा प्रतिदिन अपने सहायक अभियन्ता को, सहायक अभियन्ता द्वारा अधिशासी अभियन्ता को और अधिशासी अभियन्ता द्वारा अधीक्षण अभियन्ता एवं मुख्य अभियन्ता को प्रेषित की जाये और उनके क्षेत्र में यदि कहीं कोई संवेदनशीलता महसूस की जाये तो उससे तुरन्त अवगत कराया जाये ।

9. विभिन्न स्थलों पर आदेशित बाढ़ समितियों की बैठक भी यथाशीघ्र आहूत करके पूर्ण करा दी जाए और उसकी कार्यवाही समस्त संबंधित कार्यालयों को भी प्रेषित कर दी जायें। बाढ़ तैयारियाँ, धन की उपलब्धता एवं कार्य योजनाओं से सबको अवगत करा दिया जायें।

10. वर्ष 2018 की बाढ़ में क्षतिग्रस्त एवं कटे बंधों की पुर्नस्थापना का कार्य धन की उपलब्धता के सापेक्ष प्रत्येक दशा में मई के अन्दर ही पूर्ण करके समाप्त कर दिया जाये और कम्पलीशन रिपोर्ट संबंधित अधीक्षण अभियंताओं एवं मुख्य अभियंताओं के माध्यम से प्रेषित कर दी जाये। जिलाधिकारियों, आयुक्त महोदय को भी सूचना भेज दी जाये।

11. बाढ़ के दौरान सामग्री के क्रय पर पूर्ण अंकुश रखा जाये और इम्प्रेस्ट अथवा हैण्ड रसीद के माध्यम से क्रय की प्रक्रिया पूर्णतया प्रतिबंधित कर दिया जाए। जो भी सामग्री आवश्यक हो उसे बाढ़ से पूर्व ही संवेदनशील स्थलों पर रखवा दिया जाए और सक्षम स्तर की स्वीकृति के उपरान्त अवर अभियंताओं को केवल लेबर लगाने का ही अधिकार दिया जाए। अपरिहार्य एवं अप्रत्याशित स्थितियों में यदि सामग्री के क्रय करने की आवश्यकता हो तो अधिशासी अभियन्ता की विशिष्ट स्वीकृति पर ही केवल अनुबंध अथवा कार्यादेश के माध्यम से ही क्रय किया जाए और उसकी पूर्ण सूचना संबंधित अधीक्षण अभियन्ता एवं मुख्य अभियन्ता को दी जाए परन्तु भुगतान से पूर्व औपचारिक स्वीकृति अधीक्षण अभियन्ताओं /मुख्य अभियन्ताओं से व्यक्तिगतरूप से प्राप्त कर ली जाए। वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के पैरा-432 का उपयोग अत्याधिक आपातकाल स्थिति में किया जा सकता है। पत्थर के संबंध में कोई कार्यवाही बिना अधीक्षण अभियन्ता की अनुमति के न की जाए।

12. सीमेण्ट की खाली बोरियाँ दिनांक 31.05.2018 तक एकत्रित कर ली जाये।

13. अधिशासी अभियन्ता यह सुनिश्चित करें कि उनके खण्ड में सभी माप-पुस्तिकाएं तथा कार्यादेश एवं अनुबन्ध रजिस्टर जो वर्तमान में चल रहे है, उन्हें 31 मई तक खण्ड कार्यालय में जमा करा लिया जाए और उन्हें बंद कर दिया जाये। 01 जून से बाढ़ कार्य करने हेतु नई माप-पुस्तिका एवं कार्यादेश तथा अनुबन्ध रजिस्टर जिन पर बाढ़ काल अंकित करके जारी की जाये, कार्यादेश जारी करने हेतु नियमानुसार सुनिश्चित किया जाय। ये माप-पुस्तिकाएं एवं कार्यादेश पुस्तिकायें जो प्रथम जून से दिया जायेगा उनको 31 अक्टूबर तक बन्द करके खण्डीय कार्यालय में पुनः जमा करा लिया जाये। तत्पश्चात् पूर्व से 31 मई तक जो कार्यादेश, माप-पुस्तिकाएं एवं अनुबन्ध रजिस्टर चल रहे थे, उन्हें दिनांक 31.10.2018 को संबंधित सहायक अभियन्ता तथा जूनियर इंजीनियर को निर्गत कर दी जाये। 31 मई को जो माप-पुस्तिकाएं एवं कार्यादेश रजिस्टर जमा कराई जायेगी उसकी सूची तथा 01 जून को जो नई माप-पुस्तिका एवं कार्यादेश रजिस्टर जारी की जायेगी उसकी सूची अधीक्षण अभियन्ता एवं मुख्य अभियन्ता को भेजने का दायित्व अधिशासी अभियन्ता का होगा।

14. समस्त वायरलेस स्टेशन 01 जून से पिछले वर्ष की तरह बाढ़ काल के लिए खोले एवं बंद करने के आदेश अधीक्षण अभियन्ता द्वारा जारी कर दिये जायें।

इसके अतिरिक्त संवेदनशील स्थलों पर जिला प्रशासन द्वारा जारी पूर्व में वायरलेस लगाये जाते रहे है, उन सभी संवेदनशील स्थानों पर वायरलेस 31 मई तक स्थापित करा दिये जायें। यह कार्य अधिशासी अभियन्ता द्वारा

सुनिश्चित कर लिया जाये तथा जिन-जिन स्थानों पर वायरलेस लगाये गये है उनकी सूची इन्डैक्स मैप में लगाकर मुख्य अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता को प्रेषित की जाये।

15. बाढ़ काल में जिन स्थानों पर अस्थायी टेलीफोन एवं बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना प्रस्तावित की गई है, उनकी भी स्थापना 31 मई तक कर दी जाय जिससे कि 01 जून से प्रभावी हो जाय। बाढ़ कक्ष के इन्चार्ज न्यूनतम 01 सहायक अभियन्ता को रखा जाये तथा बाढ़ नियंत्रण कक्ष में 02 लिपिक तथा 01 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की ड्यूटी 8-8 घण्टें के लिए लगायी जाये। इन बाढ़ कक्षों की सूचना, स्थान, टेलीफोन नं0 तथा इंचार्ज सहायक अभियन्ता का नाम मुख्य अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता को भेजा जाए। बाढ़ कक्ष में 01 रजिस्टर रखा जाये, जिसमें कोई आदेश उच्चाधिकारियों को प्राप्त होने पर उक्त रजिस्टर में अंकित किया जाये तथा उसका क्रियान्वयन इंचार्ज सहायक अभियंता द्वारा किया जायें। अधिशासी अभियन्ता द्वारा भी इस रजिस्टर को सप्ताह में 02 या 03 बार अवश्य देखा जायें तथा यह सुनिश्चित किया जायें कि उच्चाधिकरियों से प्राप्त आदेशों का क्रियान्वयन हुआ है कि नहीं।

बाढ़ के समय में जनता, जनप्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन से प्राप्त समस्त शिकायतों को रजिस्टर में दर्ज किया जायें तथा शिकायतों में की गई मांग पर कार्यवाही सुनिश्चित की जायें तथा इसका भी प्रचार किया जायें कि अमुक स्थान पर बाढ़ कक्ष की स्थापना कर दी गयी है, उसमें कार्यरत कर्मचारियों का नाम, टेलीफोन नं0 आदि प्रचारित किया जाये। इसकी सूचना जिला प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों को भेजा जाये। बाढ़ नियंत्रण कक्ष में बाहरी दीवार पर एक पट्टिका लागायी जाये जिस पर निम्न सूचना लिखी जाये :-

क्र0 सं0	बाढ़ नियंत्रण कक्ष	कार्यरत कर्मचारी का नाम	समय कब से कब तक	टेलीफोन नं0	इंचार्ज सहायक अभियंता का नाम	नदी का नाम	इसका उच्चतम एवं न्यूनतम बाढ़ जलस्तर	प्रतिदिन का गेज भी अंकित किया जाये
1	2	3	4	5	6	7	8	9

16. बाढ़ काल की अवधि में (01 जून से 31 अक्टूबर तक) अधिशासी अभियन्ता कोई भी छुट्टी सहायक अभियन्ता एवं जूनियर इंजीनियर को स्वीकृत नहीं करेगें। सहायक अभियन्ता एवं जूनियर इंजीनियर की छुट्टी अधीक्षण अभियन्ता तथा अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता की छुट्टी मुख्य अभियन्ता द्वारा स्वीकृति की कार्यवाही की जायेगी। यदि कोई अधिकारी / कर्मचारी बिना छुट्टी के अनुपस्थिति पाया जाता है तो उसके विरूद्ध तुरन्त विधिक एवं अनुशासनिक कार्यवाही करके उसको मुख्यालय पर उपस्थित होने हेतु बाध्य किया जाय।

17. जो भी धनावंटन किया जा रहा है उसकी सूचना मदवार जनप्रतिनिधि तथा जिला प्रशासन को दे दी जाये। जनप्रतिनिधि तथा जिला प्रशासन को यह पूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि अमुक खण्ड में किन-किन मदों में कितना-कितना धन उपलब्ध है, ताकि पूरी पारदर्शिता लाई जा सकें।

18. बांधों का निरीक्षण करते समय यह ध्यान रखा जायें कि यदि बांध के समीपवर्ती गांव के निवासी यदि बांध पर बसे है तो उनकी झोंपड़ियां इस प्रकार रहे कि बांध पर यातायात चालू रहे।

19. जब बाढ़ बांध के टो के ऊपर आ जाये तो बांध पर कार्यरत बेलदार प्रतिदिन सुबह 8.00 बजे से पूर्व अपने निर्धारित कार्य के साथ बांध की प्रोटेक्टेड साइड की टो का निरीक्षण करेगें और यदि किसी स्थल पर सीपेज आदि की समस्या हो तो इसकी सूचना जूनियर इंजीनियर और सहायक अभियन्ता को तुरन्त उपलब्ध करायेगें।

20. नदी का जलस्तर जब डैन्जर लेबिल पर आ जायें तो जूनियर इंजीनियर का यह दायित्व होगा कि वह दिन में कम से कम एक बार अवश्य अपने चार्ज के बांधों का स्वयं निरीक्षण करें और बांध की स्थिति के विषय में सहायक अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता तथा बाढ़ नियन्त्रण कक्ष को दैनिक सूचना उपलब्ध करायें।

21. नदी का जलस्तर जब खतरे के बिन्दु से ऊपर हो जाये तो सहायक अभियन्ता का दायित्व होगा कि वह प्रतिदिन कम से कम एक बार बांधों का निरीक्षण करें।

22. नदी का जलस्तर उच्चतम बाढ़ स्तर के आसपास होने पर प्रत्येक बांध का निरीक्षण आवश्यकतानुसार न्यूनतम दो बार अवश्य होगा। इसके अतिरिक्त रात्रि में भी गस्त की व्यवस्था रहेगी। इसके लिए अधिशासी अभियन्ता द्वारा समय-समय पर आदेश दिये जायेगें। गश्ती बेलदारों के पास टोकरी, फावड़ा एवं रोशनी का प्रबन्ध होना चाहिए जिसके लिए जूनियर इंजीनियर एवं सहायक अभियन्ता उचित प्रबन्ध रखेगें। यदि किसी स्थान पर अधिक बेलदारों की आवश्यकता पड़ती है तो जूनियर इंजीनियर इन बेलदारों एवं सामग्री निर्गत करने के लिए वायरलेस/ विशेष व्यक्ति को भेजकर सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करेंगें एवं मजदूरों को रखनें तथा निर्माण सामग्री निर्गत करने के संबंध में मुख्य अभियन्ता द्वारा निर्गत आदेशों का पालन करना सुनिश्चित करेगें और यदि आवश्यकता हो तो वित्तीय हस्त-पुस्तिका भाग-6 के पैरा-432 का भी उपयोग कर सकते हैं, परन्तु किसी भी दशा में कार्य स्थल से नहीं हटेगें।

अधिशासी अभियन्ता इस संबंध में प्रत्येक सप्ताह के अन्त में जूनियर इंजीनियरों द्वारा कराये गये कार्यो की समीक्षा करते हुए व्यय विवरण एवं कार्य की उपयोगिता एवं आवश्यकता से अधीक्षण अभियन्ता एवं मुख्य अभियन्ता को अवगत करायेगें।

23. नदी का जलस्तर उच्चतम बाढ़ स्तर से एक मीटर नीचे होने पर प्रत्येक सहायक अभियन्ता का कर्तव्य होगा कि वह बांधों पर छोलदारी अथवा टेन्ट की व्यवस्था करके वहां पर रहे जिससे प्रत्येक समय उन्हें बांध की स्थिति की सूचना मिलती रहे और सुरक्षात्मक कार्य किये जा सके। यदि यह स्थिति एक उपखण्ड के एक से अधिक बंधों पर एक साथ आती है तो अतिरिक्त सहायक अभियन्ताओं हेतु अधीक्षण अभियन्ता /मुख्य अभियन्ता से प्रबन्ध कराया जाए।

24. बाढ़ के समय कटाव निरोधक कार्यो की सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि यदि किसी कटाव निरोधक कार्य पर दबाव एवं खतरा उत्पन्न हो तो उसकी सूचना तत्काल जूनियर इंजीनियर द्वारा सहायक अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता तथा अधीक्षण अभियन्ता को भेजा जायेगा सूचना प्राप्त होते ही सहायक अभियन्ता तथा अधिशासी अभियन्ता कार्य स्थल का निरीक्षण करें और अधीक्षण अभियन्ता से प्रस्तावित कार्यवाही का अनुमोदन प्राप्त करें, क्योकि प्रमुख अभियन्ता के आदेशानुसार बाढ़ के समय यदि कटाव निरोधक कार्यो पर कार्य किया जाता है तो उसकी स्वीकृति अधीक्षण अभियन्ता से आवश्यक है। बाढ़ के समय आपातकालीन स्थिति में पत्थर/झांवा/ब्लाक कंकड़ अधिशासी अभियन्ता द्वारा प्रयोग कराया जा सकता है परन्तु उसकी दैनिक सूचना अधीक्षण अभिंन्ता को भेजकर उनसे औपचारिक अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा। आपात स्थिति में जूनियर इंजीनियर बचाव की आवश्यक कार्यवाही तत्काल प्रारम्भ कर सकते है, परन्तु पत्थर/झांवा/ब्लाक कंकड़ का प्रयोग अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता की अनुमति विशेष व्यक्ति भेजकर/ वायरलेस से प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जा सकता है। प्रतिदिन किये जाने वाले कार्य की दैनिक रिपोर्ट पर कार्यवाही निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जायेगी।

25. ऐसे स्थान जहां बाढ़ के समय बांध के किसी अंश के ग्रामवासियों द्वारा क्षति पहुचानें की आशंका हो पूर्व में ही चिन्हित कर लिये जाये और उनकी सूची से जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, समीपस्थ पुलिस चौकी थाना, ग्राम पंचायतों आदि को अवगत करा दिया जाये और इस प्रकार के स्थलों पर पुलिस की व्यवस्था सुनिश्चित करा दी जाये। चिन्हित स्थानों पर यदि ऐसी आशंका पैदा हो तो होमगार्ड तथा पुलिस की व्यवस्था हेतु सूचना जूनियर इंजीनियर / सहायक अभियन्ता /अधिशासी अभियन्ता वायरलेस अथवा विशेष व्यक्ति के माध्यम से पुलिस अधीक्षक / जिलाधिकारी / पुलिस इंस्पेक्टर को उपलब्ध कराये ताकि उनके द्वारा पुलिस फोर्स का तत्काल प्रबन्ध किया जा सके।

प्रत्येक रेगुलेटर की वर्षा से पहले जूनियर इंजीनियरों एवं सहायक अभियंताओं द्वारा जांच कर ली जाये तथा जब बाढ़ का पानी रेगुलेटर की ओपनिंग तक आ जाये तो जूनियर इंजीनियर का यह भी दायित्व होगा कि रेगुलेटर का ठीक प्रकार से रेगुलेशन हो। यदि सुरक्षित क्षेत्र में कोई समस्या होती है, तो उसका विवरण तुरन्त सहायक अभियन्ता तथा अधिशासी अभियन्ता को भेज दें। जिससे अधिकारियों द्वारा रेगुलेटर का निरीक्षण किया जाये और सुरक्षा उपाय कराया जा सकें।

प्रत्येक जूनियर इंजीनियर अपने कार्यस्थल पर प्रस्तर-2 के अन्तर्गत रजिस्टर रखेंगें। उसमें निम्न दैनिक सूचनाएं अंकित की जायेगी-

(क) कार्य क्षेत्र में उपलब्ध सामग्री।

(ख) कार्य क्षेत्र में बने कटाव निरोधक कार्यो का विवरण।

(ग) कार्यो को हुई क्षति की सूचना उच्चाधिकरियों को किस पत्र द्वारा उपलब्ध करायी गयी है। सूचना उपलब्ध कराने का दिनांक एवं समय भी अंकित किया जाये।

(घ) क्षति के लिए किये गये उपचार का विवरण तथा उच्चाधिकारियों को उसके प्रेषित करने का संदर्भ।

26. बांध पर तैनात बेलदार के कमीज पर 6 से0मी0 व्यास का एक कपड़े का बिल्ला लगा होगा जिस पर बेलदार के रीच का उल्लेख रहेगा। अवर अभियंन्ता इस बिल्ले का प्रबन्ध करेंगें।

27. नदी का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे होने पर सुबह 8.00 बजे की पंसाल सूचित की जायेगी। जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर होने पर सुबह 8.00 बजे एवं सायं 4.00 बजे तथा उच्चतम् बाढ़ स्तर से 0.50 मी0 जलस्तर कम होनें की दशा में हर घण्टे नदी का जलस्तर अंकित किया जायेगा।

28. समाचार पत्रों में बंधों या कटाव निरोधक कार्यो पर खतरा या क्षतिग्रस्त होने की जो सूचना प्रकाशित हो उस पर टिप्पणी (Comments) उसी दिन सहायक अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता द्वारा अधीक्षण अभियन्ता एवं केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष, सिंचाई भवन एनेक्सी, लखनऊ को उपलब्ध कराया जायेगा।

29. बाढ़ काल के दौरान फ्लड फाइटिंग हेतु प्रक्रिया अलग से प्रमुख अभियंता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा जारी की जा रही है, जिसका अनुपालन अनिवार्य होगा।

(ब) <u>बाढ़ आदेश संख्या- 02</u>

वर्ष 2018 की बाढ़ काल में बाढ़ बचाव कार्य हेतु निम्न कार्यवाही करने हेतु निर्देश जारी किये जा रहे है :-

1- कम ऊँचाई वाले बांधों पर ओवर टापिंग से क्षति।

2- बांध के सेक्शन कम होने की दशा में सीपेज, ब्वायलिंग, पाइपिंग से बांध की क्षति।

3- नदी द्वारा बांध के समीप बहने पर कटान से क्षति ।

उपरोक्त तीनों प्रकार के सम्भवित क्षति से निम्न प्रकार से निपटा जा सकता है।

1. **ओवर टापिंग :**

नदी का गेज प्रतिदिन जिस स्थान पर समस्या होने की सम्भावना हो उस स्थान से 10 -20 कि0मी0 ऊपर (अपस्ट्रीम) से नदी के गेज की जानकारी संबंधित सहायक अभियंता एवं अवर अभियंता को प्रतिदिन करनी चाहिए। यह भी हिसाब लगाना चाहिए कि नदी में बहाव की गति क्या है? कार्यस्थल पर किस दिनांक को और किस समय बांध के ओवर टाप की स्थिति आ जायेगी, उस स्थिति से 24 या 48 घण्टा पूर्व डौला बनाने की कार्यवाही प्रारम्भ कर देनी चाहिए और इसकी सूचना वायरलेस द्वारा जिला प्रशासन / मा0 जनप्रतिनिधियों एवं उच्चाधिकारियों को दे दी जाये कि अगले 24 या 48 घण्टे बाद अमुक बांध के पास ओवर टाप की स्थिति हो जायेगी और इसकी सुरक्षा हेतु ग्राम समितियों का सहयोग भी प्राप्त किया जाये।

2. **सीपेज तथा ब्वायलिंग से क्षति :**

नदी काफी दिनों तक बाढ़ स्तर पर रूके रहने के कारण बांधों पर सीपेज प्रारम्भ हो जाता है और बांध क्षतिग्रस्त होने की सम्भावना हो जाती है।

प्रारम्भिक अवस्था में बांध के डाउनस्ट्रीम के "टो" पर स्वेटिंग होती है। इसमें पानी का बहाव लगभग नगण्य होता है लेकिन "टो" पर देखने से यह लगता है कि पानी बंधें के "टो" से निकल रहा है। यह प्रारम्भिक अवस्था है, इसको चेक करने हेतु लोकलसैण्ड की पतली लेयर बिछा देने पर यह रूक जाता है।

स्टेविंग के उपरान्त दूसरी अवस्था सीपेज की होती है। इसमें पानी का बहाव "टो" के पास होने लगता है जिसे देखा जा सकता है। इससे बचने हेतु बहते हुए पानी को हथेली में लेकर देखा जाये कि मिट्टी के कण आ रहे है या नहीं। यदि मिट्टी के कण आ रहे है तो स्थिति को गम्भीर समझा जाये। यदि साफ पानी निकल रहा है तो इसमें कोई हानि नहीं है। इसके बचाव हेतु छोटे-छोटे रिंग बनाकर उसमें लोकल सैण्ड डाल दिया जाये। यदि लोकल सैण्ड पानी के बहाव के साथ-साथ बह जा रहा हो तो उसमें पी-ग्रैवेल डाला जाये और यह देखा जाये कि उससे निकलने वाला पानी साफ होना चाहिए। इसी समय यह आवश्यक है कि इस सीपेज के रीच को 24 घण्टे निगरानी हेतु कर्मचारी नियुक्त कर दिये जाये, तथा इसकी सूचना भी उच्चाधिकारियों / जिला प्रशासन को दे दिया जाये कि बांध के पास अमुक स्थान में क्षति होने की सम्भावना है।

अगली स्थिति ब्वायलिंग की है। इसमें बांध के "टो" के पास अथवा कुछ दूर हटकर एक इंच या 1.5 इंच डायामीटर में तेजी से पानी निकलता है तो यह स्थिति गंभीर है। इसको चेक करने हेतु तुरन्त तारकोल के दोनों तरफ से कटे हुए ड्रम का प्रयोग करके पानी निकालने के स्थान से ऊपर रख दिया जाये। पानी कुछ ऊँचाई तक बढ़ेगा और उसके बाद बंद हो जायेगा। इसके बाद रिंग बनाकर उतनी ही ऊँचाई तक पानी को रोकने का प्रबन्ध कर दिया जाये और इस गड्ढे में लोकल सैण्ड द्वारा उसके ऊपर पी-ग्रैवेल रख दिया जाये जिससे पानी निकलने पर मिट्टी का बहना रूक जायेगा।

इसके बाद पाइपिंग की अवस्था है जो बंधे की सुरक्षा के लिए अत्यन्त गंभीर है और पाइपिंग से बंधे को बचाना अत्यन्त दुरूह कार्य है। इसलिए इस अवस्था में आने से पूर्व बांध की सूचना जिला प्रशासन एवं मा0 जनप्रतिनिधियों तथा उच्चाधिकारियों को देना संबंधित सहायक अभियन्ता एवं जूनियर इंजीनियर का दायित्व है जो सहायक अभियन्ता एवं जूनियर इंजीनियर इस दायित्व का निर्वहन नहीं करेंगें उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है। इस अवस्था में दुरूह कार्य को निम्न रूप से बचाव कार्य करने पर बांध बचने की कुछ संभावना हो सकती है।

जिस स्थान पर पाइपिंग हो रहा है उसी स्थान पर नदी की तरफ स्लोप पर एक तिरपाल बिछाकर आदमी खड़े किये जाये और तिरपाल को हटनें न दिया जाये जिससे पाइपिंग के होल द्वारा पानी के बहाव की रोक हो सकें। ईटों के टुकड़े अपस्ट्रीम स्लोप पर डम्पिंग की जाये जिससे कि होल को बन्द करने में मदद मिलें।

यह अन्तिम अवस्था है, और इसके बाद कुछ ही समय में बांध टूटने की सम्भावना हो जाती है और इस पर बहुत ही तीव्र गति से कार्य कराये जाये तथा यह भी देख लिया जाये कि बांध की इस रीच से कुछ ही दूर पीछे हटकर कोई रिंग बांध बनाने अथवा किसी ऊँचे स्थल पर बांध जोड़ने की सम्भावना हो तो उसके पूर्व में कार्य प्रारम्भ कर दिये जाये जिससे कि बांध से निकला हुआ पानी सुरक्षित क्षेत्र में न फैल सकें।

3. **कटाव :**

कटाव निरोधक कार्यो में 90प्रतिशत नदी में पानी की कटान तब होती है जब जलस्तर जमीन से 1 फीट से 2 फीट तक नीचे रहता है। संबंधित सहायक अभियन्ता एवं जूनियर इंजीनियर को इस बात की जानकारी प्रतिदिन रखनी चाहिए कि कार्यस्थल पर नदी का गेज किस दिन कटाव की स्थिति में होगा तथा आगे पानी का गेज बढ़ने की स्थिति कब होगी। यदि किसी स्थान पर नदी में कटान की प्रवृत्ति देखी जाये तो इसको दूर करने का उपाय सोच लिया जाए और इसे उच्चाधिकारियों को सूचित किया जाये और उनसे निवेदन किया जाए कि कार्यस्थल का निरीक्षण कर लें ताकि बचाव कार्य काफी पूर्व प्रारम्भ किया जा सकें। इसके लिए यह आवश्यक है कि सम्बन्धित कार्यस्थल पर एक कटान रजिस्टर बनाया जाये जिस पर प्रतिदिन की कटान की मांप अंकित की जाये और इसकी सूचना उच्चाधिकारियों एवं जिला प्रशासन को दी जाये। यदि कटान की गति तीव्र पायी जाये तो उसके बचाव हेतु उपाय शीघ्र कर लिये जाये। कटाव निरोधक कार्य कई बातों पर निर्भर करते है। उदाहरण के तौर पर नदी का स्लोप, नदी में बह रहे पानी का वेग तथा बहाव सीधा है या मोड़ पर है, नदी बढ़ाव पर है या उतार पर है। गण्डक एवं घाघरा दो नदियों में कटाव निरोधक कार्य को पत्थर से कराये जाने पर सफलता होती है। अन्य गर्रा, राप्ती, रोहिन में पत्थर डालने की आवश्यकता नहीं है। इन नदियों में कटान को रोकने हेतु झांवा, बल्ली, क्रेट, बांस आदि प्रयोग में लाया जा सकता है।

बाढ़ कार्य में यदि नदी बांध की ओर बढ़ रही हो तो छोट-छोटे बल्ली के स्टड बनाकर उसमें झाखड़ आदि भरकर नदी को बांध के "टो" से 5-10 मीटर दूर रोकना श्रेयस्कर है क्योकि बांध के स्लोप कटने की दशा में कटाव निरोधक कार्य कारगर नहीं होगे। 3 मी0 से कम गहराई होने पर बल्ली एवं बांस द्वारा बनाये गये क्रेट से छोटी-छोटी लम्बाई (लगभग 5 से 10 मीटर) में शार्ट क्रेट से स्टड बना दिया जाये तथा उनकी लम्बाई के तीन गुंनी दूरी पर इन्हें बनाया जाये, इनके लांच होने पर रिक्यूपमेण्ट का कार्य वर्षाकाल में लगातार किया जाये तथा यह सुनिश्चित किया जाये कि ये आउटफ्लैक न हो। 3 मी0 से ज्यादा गहराई होने की दशा में बांध को पीछे हटाते रहना ज्यादा कारगर होता है। "टो" के पास एक मीटर गहराई रहने पर टी-स्पर एवं बम्बूक्रेट से भी कटान रोकी जा सकती है।

4. प्रत्येक अधिशासी अभियन्ता अपने खण्ड में यह प्रबन्ध करेगें कि उन्हें प्रत्येक बांध पर बाढ़ की स्थिति प्रतिदिन सांयकाल तक प्राप्त हो जाये। अधिशासी अभियन्ता यह प्रबन्ध सुनिश्चित करेगें कि सूचना उन्हें प्रत्येक बांध की प्रतिदिन मिलती रहे।

5. अधिशासी अभियन्ता द्वारा पाक्षिक बाढ़ रिपोर्ट जो कि उच्चाधिकारियों को भेजी जायेगी उसमें निम्न बातो का समावेश किया जायेगा।

(अ) अधिशासी अभियन्ता के कार्यक्षेत्र में चल रहे समस्त इमरजेंसी कार्य के समस्त विवरण तथा बांध सुरक्षित रहने अथवा न रहने की सूचना।

(ब) नदी के उतार चढ़ाव व गेज डिस्चार्ज तथा रेनफाल का समस्त विवरण।

(स) जूनियर इंजीनियर एवं सहायक अभियन्ता द्वारा पक्षमें खर्च किये गये इमरजेंसी कार्यो की लागत।

(द) माह के अन्त में किन-किन जूनियर इंजीनियर एवं सहायक अभियन्ताओं ने मासिक लेखा खण्डीय कार्यालय में जमा नहीं किया, उनके नाम तथा उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही हेतु प्रस्ताव ।

(य) कार्यादेश / अनुबन्ध एवं मांप पुस्तिका को बन्द करने का प्रमाण पत्र ।

6. प्रत्येक माह में अधिशासी अभियन्ता द्वारा माप पुस्तिका, कार्यादेश एवं अनुबंध रजिस्टर बंद करके सूचना मासिक रिपोर्ट के साथ अधीक्षण अभियन्ता एवं मुख्य अभियन्ता को भेजी जाय।

(स). बाढ़ आदेश संख्या- 03

बाढ़ सुरक्षा समिति :

गत वर्षो की बाढ़ के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2018 में बाढ़ काल में तटबंधों तथा किनारें पर बसे ग्रामीणों की सुरक्षा हेतु क्षेत्रीय स्तर पर ग्रामवार बाढ़ सुरक्षा समितियों का गठन किया जायेगा।

2.0 समिति का ढ़ांचा :

प्रत्येक बाढ़ सुरक्षा समिति का गठन बांध के समरेखन में पड़ने वाले ग्रामवासियों के सहभागिता लेते हुए निम्न प्रकार किया जायेगा ।

1.	सम्बन्धित कार्यक्षेत्र का जूनियर इंजीनियर	पदेन अध्यक्ष
2.	ग्राम प्रधान	सह अध्यक्ष एवं समन्वयक
3.	ग्राम उपप्रधान/ हारा हुआ प्रधान	सदस्य
4.	ग्राम विकास अधिकारी	सदस्य
5.	युवक मंगल दल का प्रतिनिधि	सदस्य
6.	महिला मण्डल की अध्यक्ष/ प्रतिनिधि	सदस्य
7.	लेखपाल	सदस्य
8.	ग्राम चौकीदार / होमगार्ड / थाने का कर्मचारी	सदस्य
9.	स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधि	सदस्य
10.	बहुउद्देशीय कर्मी	सदस्य

एक बाढ़ सुरक्षा समिति में स्थानीय स्थिति के अनुसार कई ग्रामों के लोग सम्मिलित किये जा सकते है।

3.0 समिति का गठन :

बाढ़ सुरक्षा समितियों का गठन संबंधित अवर अभियंता द्वारा ग्राम प्रधान तथा लेखपाल के सहयोग से विलम्ब 15 जून तक करके उसका पूरा विवरण सिंचाई विभाग के उच्चाधिकारियों, राजस्व विभाग के उच्च अधिकारियों, थाना तथा स्थानीय जन प्रतिनिधियों को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

समिति के गठन के समय ही प्रत्येक बाढ़ सुरक्षा समिति के कार्यक्षेत्र का निर्धारण भी कर लिया जायेगा। समिति के गठन का विवरण एक रजिस्टर में अंकित कर लिया जायेगा जो समिति के अध्यक्ष / उपाध्यक्ष के पास उपलब्ध रहेगा।

4.0 समिति के दायित्व :

समिति के सदस्य एवं स्वयं सेवी संस्था की तरह सामूहिक रूप से बाढ़ काल में बांधों को नियमित गस्त करेंगें। इसके लिए टोलियां बनाकर दिन-रात बांधों की देख-रेख सुनिश्चित की जायेगी। इन टोलियों का विवरण अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पास रखे रजिस्टर में अंकित होगा।

यदि सुरक्षा समिति द्वारा बांधों के निरीक्षण के समय किसी प्रकार के क्षति का आभास किया जाता है अथवा कोई आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होती है तो इसकी विस्तृत जानकारी तुरन्त समिति के अध्यक्ष को दी जायेगी। अध्यक्ष यह सूचना

प्राप्त होते ही स्थल का निरीक्षण करके अपने विवेकानुसार स्थिति को नियंत्रित करने की कार्यवाही करेगें। इस व्यवस्था में समिति के पदाधिकारी आवश्यकतानुसार मजदूरों आदि की व्यवस्था करने में अध्यक्ष को अपेक्षित सहयोग प्रदान करेगे।

समिति के सदस्यों अथवा गश्त कर रही टोलियों के संज्ञान में किसी अवांछनीय तत्व अथवा अन्य व्यक्ति द्वारा बांध को काटने या किसी अन्य प्रकार से क्षति पहुंचाने का प्रयास करने की बात आये, तो समिति/ टोलियों द्वारा अपने स्तर से उसे रोकने का प्रयास किया जायेगा तथा आवश्यकता पड़ने पर ऐसे तत्वों को पुलिस के संरक्षण में सुपुर्द कर दिया जायेगा ।

बाढ़ सुरक्षा समिति का प्रत्येक कार्य कलाप समिति के रजिस्टर से सहअध्यक्ष / अध्यक्ष द्वारा नियमित रूप से अंकित किया जायेगा तथा बाढ़ काल समाप्ति पर इस राजिस्टर को अध्यक्ष को अभिलेखों में रखने हेतु सौप दिया जायेगा।

संलग्नक : यथोक्त।

28/3/18

(संग्राम सिंह)
मुख्य अभियन्ता (नियोजन)

पत्रांक : 131 **/प्र0अ0/अनिमांब/यू-7/ तदिनांक :** 28/03/18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. सचिव सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. प्रमुख अभियन्ता (परिकल्प एवं नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता (पश्चिम/पूर्व/मध्य/दक्षिण/रूहेलखण्ड/विन्ध्याचल) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0।
6. मुख्य अभियन्ता (अनु0 एवं नियो0), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

28.03.18 (EEU-7)

28/3/18

(संग्राम सिंह)
मुख्य अभियन्ता (नियोजन)